

पटना उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में

आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 455/2017

चिकसौर थाना कांड संख्या-89 वर्ष-2016 जिला-नालंदा से उद्धृत

=====

1. पप्पु सिंह @शिवेंद्र बहादुर, स्वर्गीय उपेंद्र सिंह के पुत्र
2. अंशु कुमार, स्वर्गीय अनिल कुमार का पुत्र दोनों गाँव-बाजितपुर, थाना-चिकसौरा, जिला-नालंदा के निवासी हैं।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव गृह पुलिस विभाग, पुराना सचिवालय, बेली रोड, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
3. पुलिस महानिरीक्षक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, बिहार, पटना।
4. पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना, बिहार।
5. पुलिस उप महानिरीक्षक, पटना मंडल, पटना।
6. पुलिस अधीक्षक नालंदा, बिहारशरीफ ।
7. श्री परवेंद्र भारती, पुलिस उपाधीक्षक, हिलसा, जिला-नालंदा। बिहार
8. श्री राजेश मालाकार, थानाध्यक्ष, चिकसौरा थाना, जिला-नालंदा।
9. अनुसंधान अधिकारी, चिकौरा थाना जिला-नालंदा।
10. श्री विश्व विभूति गुप्ता, तत्कालीन स. मु. न्या. द. प्रथम हिल्सा वर्तमान में अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश भागलपुर, बिहार के रूप में पदस्थापित

.....प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री संजीव रंजन, अधिवक्ता,  
सुश्री आस्था अनन्या, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : श्री दीपक कुमार, जी. पी.-4 के अ. लि.  
 प्रतिवादी सं. 10 के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता,  
 श्री देवाशीष गिरि, अधिवक्ता।

=====

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 41 (ए)**—याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था—याचिकाकर्ता नंबर 1 को पुलिस द्वारा धारा 41 (ए) का संरक्षण देने के बाद अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद, पुलिस ने जांच सूची दाखिल किए बिना उसे गिरफ्तार कर लिया और विद्वान मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त किया—विद्वान मजिस्ट्रेट ने जाँच अधिकारी द्वारा की गई प्रार्थना पर भरोसा करते हुए जल्दबाजी में रिमांड का आदेश पारित किया—जाँच अधिकारी ने मजिस्ट्रेट आदेश के माध्यम से बांड को वापस लिए बिना जमानत बांड पर रिहा किए जाने के बाद याचिकाकर्ता नंबर 1 को गिरफ्तार करके एक बड़ी गलती की—याचिकाकर्ता नंबर 1 के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया—पुलिस को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया याचिकाकर्ता नंबर 1 को 2,00,000/- (दो लाख) रुपये की राशि—भुगतान के बाद, दस (10) मासिक किश्तों में प्रतिवादी नंबर 9 के वेतन से पैसा काट लिया जाएगा, यदि सेवानिवृत्त नहीं किया गया है, तो बीस (20) मासिक किश्तों में—रिट याचिका का निपटारा किया गया।

**(पैरा 17, 24 से 26)**

2023(3) बी.एल. जे. 688—निर्भर किया गया

(2007) 4 एस. सी. सी. 247; 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइनएस. सी. 1330; (2014) 8 एस. सी. सी. 273; (2016) 11 एस. सी. सी. 703—संदर्भित किया गया

**पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश**

=====

**कोरम:माननीय श्री न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी**

**मौखिक निर्णय**

**तारीख: 12.02.2024**

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान एपीपी को सुना।

2. याचिकाकर्ताओं ने परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए तत्काल रिट याचिका दायर की है, जिसमें प्रतिवादियों को यह बताने का निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता सं. 1 को दं. प्र. सं. की धारा 41 और धारा 41 (ए) के तहत कानून के जनादेश का घोर उल्लंघन करते हुए क्यों गिरफ्तार किया गया और साथ ही अपने समर्थन में इस विषय में शामिल कानून का उल्लंघन करने के लिए एक समन्वित प्रार्थना के साथ प्रतिवादियों वरिष्ठ अधिकारियों एवं जांच अधिकारी पर निर्देश देने के लिए को याचिकाकर्ता की गलत गिरफ्तारी के लिए मुआवजा देने का निर्देश देने हेतु किया है।

3. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि दं. प्र. सं. की धारा 341/504/506 354 (बी) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1995 की धारा 3 (i) (iii) (x) (xi) के तहत चिकसौरा थाना कांड संख्या 89/2016 दर्ज है। उक्त वाद दर्ज होने के बाद पुलिस ने याचिकाकर्ता सं. 1 अर्थात् पप्पु सिंह उर्फ शिवेंद्र बहादुर को दं. प्र. सं. की धारा 41 (ए) के तहत नोटिस निर्गत किया याचिकाकर्ता सं. 1 स्थानीय पुलिस थाने में उपस्थित होकर उक्त प्रावधान का विधिवत पालन किया। जांच अधिकारी ने उससे पूछताछ की और पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। इसके बाद अनुसंधानकर्ता ने 07.02.2017 को एक आवेदन किया, जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 01 के खिलाफ पुलिस

रिमांड का अनुरोध किया गया अन्य बातों के साथ-साथ यह बताते हुए कि याचिकाकर्ता चिक्सौरा थाना कांड संख्या 89/2016 के संबंध में मुख्य अभियुक्त है; उसके खिलाफ पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई थी, वह गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर-उधर भाग रहा था। इसके बाद, उसे प्रचलित कानून का पालन करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाना चाहिए।

4. तत्काल रिट याचिका की सुनवाई के दौरान, एक समन्वय पीठ ने 24 जुलाई, 2023 को एक आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को संबंधित अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी -I, हिल्सा, अर्थात् विश्व विभूति गुप्ता, प्रतिवादी सं. 10 जिन्होंने रिमांड का आदेश पारित किया को जोड़ने की अनुमति दी गई। प्रत्यर्थी नं 10 को एक सप्ताह के भीतर अपना कारण बताने का निर्देश दिया गया कि **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एस. सी. सी. 273** में प्रतिवेदित के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए।

5. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने से पहले, मुझे यह दर्ज करने दें कि प्रतिवादी सं.10 के विद्वान् वरीय अधिवक्ता श्री वाई. वी. गिरि, प्रारम्भ में प्रस्तुत करते हैं कि इस मामले के जांच अधिकारी इस न्यायालय के आदेश के अनुसार विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहे हैं और उक्त पुलिस अधिकारी/जाँच अधिकारी के खिलाफ आगे का आदेश आवश्यक नहीं है।

6. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि 17 अगस्त, 2016 को चिक्सौरा थाना कांड संख्या- 89/2016 के पंजीकरण के बाद, याचिकाकर्ता को **अर्नेश कुमार (ऊपर)** के निर्देश के बाद दं. प्र. सं. की धारा 41 (ए) के तहत थाना में उनकी उपस्थिति के लिए एक नोटिस निर्गत किया गया था। याचिकाकर्ता सं.1 जांच अधिकारी

के समक्ष विधिवत उपस्थित हुए। उनसे पूछताछ भी की गई और उस समय पुलिस अधिकारी को याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने का कोई कारण या आधार नहीं मिला। 28 सितंबर, 2016 को दोनों याचिकाकर्ता सं.1 और याचिकाकर्ता सं.2 ने अपनी उपस्थिति के लिए नियमों और शर्तों को शामिल करते हुए एक वचन पत्र प्रस्तुत किया और उसके बाद उन्हें पुलिस अधिकारी द्वारा मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद 7 फरवरी, 2017 को याचिकाकर्ता सं. 1 को रिहाई के आदेश को वापस किए बिना, बंध पत्र पर उनकी पिछली रिहाई का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि **अर्नेश कुमार (उपरोक्त)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है, पुलिस अधिकारी ने दं. प्र. सं. की धारा 41 (1) (b) (ii) के तहत निर्दिष्ट उप-खंडों वाली कोई प्रतिवेदन/जाँच सूची प्रस्तुत नहीं की। ऐसी जाँच सूची विद्वान दंडाधिकारी द्वारा पारित गिरफ्तारी के समक्ष उनके न्यायिक विचार के लिए नहीं रखी गई थी कि क्या जाँच सूची के समर्थन में सामग्री विद्वान दंडाधिकारी द्वारा पारित गिरफ्तारी के आदेश के साथ रिहाई बंध पत्र को वापस लेनेको उचित ठहराती है। विद्वान दंडाधिकारी ने इस तथ्य पर विचार किए बिना कि याचिकाकर्ता ने दं. प्र. सं. की धारा 41 (A) के तहत नोटिस का विधिवत पालन किया, याचिकाकर्ता को तुरंत हिरासत में ले लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बाद में उन्हें 25 दिनों के बाद रिहा कर दिया गया।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी देश के कानून और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का भी घोर उल्लंघन है। अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता **डॉ. रिनी जौहर और एक अन्य बनाम म. प्र. राज्य और अन्य 2016 (11) एस. सी. सी. 703** में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करते हैं।

8. डॉ. रिनी जौहर (उपरोक्त) का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार के मामले में दिए गए निर्देश का उल्लंघन करते हुए गैरकानूनी गिरफ्तारी से संबंधित है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने डॉ. रिनी जौहर और एक अन्य बनाम एम. पी. राज्य और अन्य 2016 (11) एस. सी. सी. 703 में प्रतिवेदित के अनुच्छेद-27 में निम्नानुसार अवलोकन किया:-

“27.वर्तमान मामले में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया गया है और याचिकाकर्ताओं को अपमान का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उनके साथ असंवेदनशीलता के रवैये के साथ व्यवहार किया गया है। न केवल डी. के. बसु [डी. के. बसु बनाम प. बंगाल राज्य (1997) 1 एस. सी. सी. 416/1997 एस. सी. सी. (आप.) 92], में जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और धारा 41-ए के तहत निहित कानून के अधिदेश का भी घोर उल्लंघन किया गया है। जाँच अधिकारी किसी भी परिस्थिति में बेशर्मी से कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में, नीलाबती बेहरा [नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, (1993) 2 एस. सी. सी. 746 1993 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 527], सूबे सिंह बनाम हरियाणा राज्य [सूबे सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2006) 3 एस. सी. सी. 178:(2006) 2 एस. सी. सी. (आप.) 54], हरदीप सिंह बनाम म. प्र. राज्य। [हरदीप सिंह बनाम म. प्र. राज्य, (2012) 1 एस. सी. सी.

748:(2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 684], में जो सार्वजनिक विधि उपाय प्रतिपादित किया गया है, काम में आता है। पीड़ा और अपमान पर ध्यान देने वाली संवैधानिक अदालतें मुआवजा देने की हकदार हैं। इसे एक मुक्तिदायी विशेषता माना गया है। वर्तमान मामले में, तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि प्रत्येक याचिकाकर्ता को मुआवजे के रूप में ₹1 (केवल पाँच लाख रुपये) की राशि प्रदान करना उचित है, जिसका भुगतान म. प्र. राज्य द्वारा तीन महीने के भीतर किया जाना है। यदि सलाह दी जाए तो राज्य गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।"

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता वर्तमान में जांच अधिकारी के बारे में चिंतित नहीं हैं, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है। उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक पदाधिकारी, प्रत्यर्थी संख्या 10 इसमें याचिकाकर्ता संख्या 01 को द. प्र. स. की धारा 41 (1) (बी) (ii) के तहत दायर की जानेवाली आवश्यक चेक सूची प्रस्तुत करने के लिए कहे बिना द. प्र. स. की धारा 41(ए) के तहत जांच अधिकारी द्वारा जारी रिहाई बांड के उल्लंघन में हिरासत में लेकर एक गंभीर गलती किया। यह उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 10 न केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है, बल्कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए।

11. प्रत्यर्थी संख्या 10 ने 25 सितंबर, 2023 को कारण बताए जाने की प्रकृति में एक जवाबी हलफनामा दायर किया है। एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित कथित

कारण दर्शाएँ में प्रतिवादी सं.10 ने इस न्यायालय से अर्नेश कुमार (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का सही अर्थ में पालन नहीं करने के लिए बिना शर्त और अयोग्य माफी मांगी है।

12. उनके द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एस. सी. सी. 273 में प्रतिवेदित में, माननीय उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित करता है:-

“11.1. सभी राज्य सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि वे भा. दं. सं. की धारा 498-ए के तहत मामला दर्ज होने पर स्वतः गिरफ्तारी न करें, बल्कि द. प्र. स. की धारा 41 से ऊपर निर्धारित मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करें।

11.2. सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 41 (1) (बी) (ii) के तहत निर्दिष्ट उपखंडों वाली एक जांच सूची प्रदान की जानी चाहिए।

11.3. पुलिस अधिकारी विधिवत भरी गई जाँच सूची को अग्रेषित करेगा और अभियुक्त को आगे की हिरासत के लिए दंडाधिकारी के सामने अग्रेषित/पेश करते समय उन कारणों और सामग्रियों को प्रस्तुत करेगा जिनके कारण गिरफ्तारी की आवश्यकता हुई।

11.4. दंडाधिकारी अभियुक्त के निरोध को प्राधिकृत करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को उपरोक्त संदर्भों



में देखेगा और उसकी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेट निरोध को प्राधिकृत करेगा।

11.5. किसी अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का निर्णय, मामले की शुरुआत की तारीख से दो सप्ताह के भीतर दंडाधिकारी को एक प्रति के साथ भेजा जाए, जिसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

11.6. द. प्र. स. की धारा 41-ए के संदर्भ में आरोपी को मामले की स्थापना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर पेश होने की सूचना दी जानी चाहिए, जिसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

11.7. उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता संबंधित पुलिस अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा, वे क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित की जाने वाली अदालत की अवमानना के लिए भी दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

11.8. संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा उपरोक्त कारणों को दर्ज किए बिना हिरासत को अधिकृत करना उपयुक्त उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

12. हम जल्दबाजी में यह भी कहते हैं कि उपरोक्त निर्देश न केवल भा. दं. सं. की धारा 498-ए या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मामलों पर लागू होंगे, बल्कि ऐसे मामलों में भी लागू होंगे जहां अपराध के लिए सात साल से कम या सात साल तक के कारावास की सजा हो सकती है, चाहे वह जुर्माने के साथ हो या बिना जुर्माने के।”

13. इस प्रकार, उक्त दिशा-निर्देशों का खंड 11.8 स्पष्ट रूप से अभियुक्त करता है:-

“संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा उपरोक्त कारणों को दर्ज किए बिना हिरासत को अधिकृत करना उपयुक्त उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।”

14. प्रतिवाद सं.10 की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवाद सं.10 ने याचिकाकर्ता सं. 1 से पूछताछ किया कि क्या उसे पुलिस दल के खिलाफ कोई शिकायत थी, जिस पर याचिकाकर्ता सं.1 ने पुलिस दल के खिलाफ और आगे की जांच पर कोई शिकायत नहीं की। याचिकाकर्ता सं.1 ने प्रत्यर्थी सं.10 को खुलासा किया कि गिरफ्तारी के बारे में उनके परिवार के सदस्यों को सूचित कर दिया गया था। उनसे यह भी पूछा गया था कि क्या उन्हें अपने प्रतिनिधित्व के लिए किसी अधिवक्ता की सहायता की आवश्यकता है, जिस पर याचिकाकर्ता सं.1 ने जवाब दिया कि वह एक अधिवक्ता को नियुक्त करेगा। इसलिए, यह प्रत्यर्थी सं.10 की ओर से प्रस्तुत किया जाता है कि कथित प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता सं. 01 के खिलाफ रिमांड का आदेश पारित करने से पहले अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग किया।

15. प्रत्यर्थी नं.10 की ओर से विद्वान् वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी को जांच अधिकारी द्वारा की गई प्रार्थना से गुमराह किया गया था और रिमांड का आदेश पारित किया गया था। 16. धारा 41 (1) (बी) (ii) में कहा गया है:

"(1) कोई भी पुलिस अधिकारी दंडाधिकारी के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है-

(बी) जिसके खिलाफ एक उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, या एक उचित संदेह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है जो सात साल से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय है या जो सात साल तक बढ़ सकता है, चाहे जुर्माने के साथ या बिना, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात्:-

(ii) पुलिस अधिकारी संतुष्ट है कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है-

(क) ऐसे व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने के लिए; या

(ख) अपराध की उचित जाँच के लिए; या

(ग) ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को गायब करने या किसी भी तरह से ऐसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए; या

(घ) ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकने के

लिए ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; या

(ई) जब तक कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जब भी आवश्यकता हो अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपना कारण लिखित रूप में दर्ज करेगा;

17. याचिकाकर्ता सं.01 की गिरफ्तारी के लिए अनुरोध करते हुए जांच अधिकारी द्वारा विद्वान दंडाधिकारी को चेक सूची में कोई आधार नहीं बताया गया। इसके विपरीत याचिकाकर्ता को पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 41 (ए) का संरक्षण देने के बाद अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद पुलिस अधिकारी ने उसे जाँच सूची दर्ज किए बिना गिरफ्तार कर लिया और विद्वान दंडाधिकारी से आदेश प्राप्त किया। विद्वान दंडाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि उसने जांच अधिकारी द्वारा की गई प्रार्थना पर भरोसा करते हुए शीघ्रता या जल्दबाजी में जेल भेजने का आदेश पारित किया।

18. **रमेश चंद्र सिंह बनाम इलाहाबाद राज्य में, 2007 (4) एस. सी. सी. 247** में प्रतिवेदित मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की प्रथा को इसलिए अस्वीकार कर दिया है क्योंकि उनके द्वारा पारित निर्णय/आदेश केवल गलत हैं। इस तरह के फैसले के पीछे तर्क यह है कि पहली अधिकारिता के न्यायाधीश द्वारा की गई गलतियों को सुधारने के लिए अपीलीय और पुनरीक्षण न्यायालयों की स्थापना की गई है। न्यायिक आदेशों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की और सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

19. **कृष्ण प्रसाद वर्मा कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1330**,में प्रतिवेदित मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 में निहित प्रावधानों को संदर्भित किया गया है जिसके माध्यम से उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को नियंत्रित करते हैं। इसलिए उच्च न्यायालय को अनुशासनात्मक उपाय के माध्यम से न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, केवल इसलिए कि गलत आदेश पारित किया गया है, नहीं करनी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसने अपने जीवन में कभी गलती नहीं की है। साथ ही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक चेतावनी का आदेश दिया कि किसी को न्यायिक अधिकारी को पेश करने की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह केवल न्यायाधीशों द्वारा पारित गलत निर्णय/आदेशों की पहचान किए बिना नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि न्यायिक अधिकारी द्वारा जेल भेजने का आदेश किसी बाहरी विचार या अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए दिया गया था। जेल भेजने का आदेश 07.02.2017 को पारित किया गया था।

20. पटना उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मो. असफाक आलम बनाम झारखण्ड राज्य एवं एक अन्य** में लिए गए निर्णय के आधार पर परिपत्र संख्या 1/2023 निर्गत किया। **अर्नेश कुमार (ऊपर)** में निर्धारित कानून को दोहराया। याचिकाकर्ता **अर्नेश कुमार (उपरोक्त)** के फैसले के तुरंत बाद इस अदालत द्वारा जारी किए गए किसी भी परिपत्र को विद्वान दंडाधिकारी को उसके सख्त अनुपालन के लिए प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

21. साथ ही, इस न्यायालय का विचार है कि कानून की अज्ञानता को न्यायिक अधिकारी तो दूर कोई आम आदमी द्वारा भी बचाव नहीं कहा जा सकता है। तथापि, केवल एक गलत निर्णय/आदेश पारित करने के लिए, एक न्यायिक अधिकारी के

खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, आरम्भ करने के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुसंगत विचारों का पालन करते हुए। इस न्यायालय का विचार है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही ऐसे गलत आदेश के खिलाफ जवाब नहीं हो सकती है।

**22. 2023 (3) बी. एल. जे. 688,में प्रतिवेदित संगीता रानी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** के मामले इस न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय पर इस संबंध पर भरोसा किया जा सकता है।

23. हालाँकि, याचिकाकर्ताओं की दुर्दशा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने संबंधित न्यायिक अधिकारी, प्रतिवादी सं.10 को सख्त चेतावनी दी और रिकॉर्ड करता है कि ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति को गंभीरता से देखा जाएगा।

24. साथ ही, इस न्यायालय का मानना है कि जांच अधिकारी ने दंडाधिकारी के आदेश के माध्यम से बांड को रद्द किए बिना जमानत बांड पर रिहा होने के बाद याचिकाकर्ता सं.01 को गिरफ्तार करके एक बड़ी गलती की है। इस तरह की गलती के लिए, याचिकाकर्ता के मूल्यवान मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था।

25. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, पुलिस प्राधिकरण, बिहार राज्य को याचिकाकर्ता सं.1 को रुपये की राशि. 2,00,000-(दो लाख) मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। इस तरह के मुआवजे का भुगतान राज्य के खजाने से इस आदेश के पुलिस महानिदेशक प्रतिवादी सं.02 को भेजे जाने की तारीख से 60 दिनों के भीतर किया जाएगा। भुगतान के बाद, उक्त राशि संबंधित पुलिस अधिकारी प्रतिवादी सं.9 यदि सेवानिवृत्त नहीं हैं, के वेतन से दस मासिक किश्तों में काट ली जाएगी। । यदि सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उक्त राशि 20 मासिक किश्तों में उनके पेंशन लाभ से काट ली जाएगी।

26. इस प्रकार तत्काल रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(बिबेक चौधरी, न्यायमूर्ति )

प्रवीणकुमार/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।